S.No.23

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

****

R.B.E.No. 38/2014

No. E (Trg)2010(1)/11 New Delhi, dated: 28.04.2014

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.
CORE/Allahabad.

The Director General,
RDSO/Lucknow.
NAIR, Vadodara

The Chief Admn. Officers
Diesel Loco Modernization Works, Patiala.
COFMOW, New Delhi.

Please issue
28/4/14

c/c

The Directors,
IRIEEN/Nasik
IRICEN/Pune
IRISET/Secunderabad
IRIMEE/Jamalpur
IRITM/Lucknow.
JR RPF Academy/Lucknow.

Sub: Eligibility Criteria for selection of Indian Railways Personnel for Foreign Training – Consolidated orders - issued

Ref: (i) Board's letter no. E(Trg)2010(1)/11 dt. 09.09.2010
(ii) Board's letter no. E(Trg)2010(1)/11 dt. 25.10.2013
(iii) Board's letter no. E(Trg)2010(1)/11 dt. 20.03.2014

Railway Board, vide circulars mentioned above, have issued instructions on eligibility criteria for nomination/selection of Indian Railways Personnel for Foreign Training (other than structured Training Plan). It has now been decided to bring out a comprehensive circular incorporating all the amendments till date. The criteria are as under:

1. <u>**Mandatory Criteria**</u>

   a) **Age Restriction:** The maximum age limit for both Gazetted and Non-Gazetted personnel, on the date of completion of training, will be **55 years** (irrespective of SC/ST category).

   b) **Minimum length of service:** Wherever the training programme does not prescribe any minimum service criteria, the nominees must have put in minimum six(6) years of **regular** service in Indian Railways.

   c) **APAR Grading:**
   For Gazetted Officers, the nominees must have APAR benchmark of "Very Good" during the preceding five(5) years.
   For Non-Gazetted personnel, APAR gradings would not be a criterion for nomination.

28/4/14

d) **Education/Experience:** The nominees must fulfill the specified educational qualifications or work experience required for the training under consideration.

e) **Vigilance Clearance:**
For Gazetted Officers D&AR/Vigilance clearance is mandatory.
For Non-Gazetted personnel, while vigilance clearance is mandatory D&AR clearance would not be compulsory.

2. Once the above mentioned mandatory pre-conditions are fulfilled, the nominations should be done as per the following **priority order**:

   1) Officers/officials who have never been sent for any training abroad by the Ministry.
   2) Officers/officials who have never been sent on any foreign training during the preceding five years.
   3) Officers/officials who have attended foreign training having duration upto 2 weeks during the preceding five years.
   4) Officers/officials who have attended short term training programmes having duration of more than 2 weeks upto six(6) months) more than five years back from the date of commencement of the programme.
   5) Officers/officials who have attended long term courses (i.e. more than six months duration).

3. Cooling off period:

   The cooling off period is as under:
   1) Two years for a training programme upto one month duration.
   2) Three years for a training programme having duration of more than one month and upto six months.
   3) Five years for training of more than six months duration.

4. In the above mentioned priority criteria, the following norms would be followed:

   a) The officer/official (wherever applicable) is to be considered in turn as per his batch and seniority.
   b) The officer/official should have completed the prescribed cooling off period.
   c) The officer/official should not be a case of debarment for Foreign training.

5. While considering the officer/official for foreign training under Transfer of Technology(TOT), purchase of machines or under specific departmental programmes, following guidelines are to be followed strictly:

   i) Only those officers/technical staff/supervisory staff should be nominated who are currently working and shall continue to work for at least next two years after completion of training in the relevant area and stream, except when the Board specifically nominates someone giving due reasons for such nomination.
   ii) Number of man-days should be kept to a bare minimum.

iii) Head of the technical wing (viz. Member/Additional Member) should be the deciding authority of the need and duration of the training. If training is a part of the tender invited by Railway/COFMOW, concerned Additional Member's approval will be needed to incorporate foreign training clause in the contract.

iv) For training involving more than 2 weeks stay abroad, language skills of the staff/officers being nominated should be suitably considered.

v) After return from the training abroad a presentation to the concerned unit should be made by the team of officers and staff who have attended the training for proper dissemination of the acquired knowledge.

6. Officers/officials posted as faculty in the Central Training Institutes/Training Centres and who meet the above eligibility criteria, may be given preference in nominations for foreign training programmes abroad.

7. All officers/officials nominated for training abroad should furnish information as per the annexed Proforma before the case is processed for approval of the Competent Authority.

8. All officers/officials nominated for training abroad would be required to execute a bond prior to proceeding on training. The amount of the bond in each case would be worked out by the Training Directorate in consultation with Associate Finance, Railway Board.

9. Receipt of the letter may be acknowledged.

(H. Moharana)
Director (Training)
Railway Board.
Fax No.011-23385099.

Copy to:

1. OSD/MR, PSOs/Sr.PPSs/PPSs to CRB, FC, MT, MS, ME, ML, MM, DG/RPF, DG/RHS, Secretary Railway Board.
2. All Additional Members, Advisers, JS(G), EDF(E), Railway Board
3. The Secretary Generals, FROA & IRPOF, Rail Bhavan.

Annexure

FORMAT FOR TRAINING

Paste a recent Passport-sized photograph

General Information

1. Name (in capitals) : ____________________

2. Father's Name : ____________________

3. Address: ____________________

____

____

4. Phone No.(s): ____________________ (off.)

____________________ (Res.)

____________________ (Mob.)

5. Fax No.(s): ____________________

6. E.mail: ____________________

7. Sex: Male [ ] Female [ ]

8. Date of birth (DD/MM/YY):

[|] [|] [| | |]

9. Category:

Gen [ ] SC [ ] ST [ ] OBC [ ]

10. If you belong to a minority community (Muslim, Parsi, Jain, Christian, Sikh, Buddhist etc.) please mention the same. [ ]

Section 1 : Service Record

(i) Service : ______________________

(ii) Batch (if applicable) ______________________

(iii) Designation: ______________________

(iv) Railway: ______________________

(v) Date of joining Railway Service ______________________

(vi) DITS (if applicable) ______________________

(vii) Length of service in Railways ______________________

(viii) Length of service in Group-A: ______________________

(ix) Whether on Central deputation/ Deputation to Rly. PSU: ______________________

(x) If on deputation, name of the organization, date of joining and date of completion of tenure: ______________________

(xi) Present pay in Pay scale and Grade Pay ______________________

Section 2: Academic record
(Give marks/CGPA in aggregate after the final year only)

	Main Subject	Institute/Univ.	Year of passing	%age of marks/CGPA
10+2				
Bachelor's degree				
Master's degree				
Other (specify)				

Other qualifications:
Professional qualifications/diplomas that you have
(CA/ICWA/NIIT/Aptech/Foreign languages, legal etc.)

Name of the qualification	Date		Marks obtained/CGPA	Maximum marks /CGPA	Class Distinction
	From	To			

Section 3: Work experience
(A) Full time (attach additional sheets, if necessary)

Organisation	Designation	Period		Nature of work
		From	To	

(B) Part-time, training, project work, volunteer work etc. (attach additional sheets, if necessary)

Organisation	Period		Total month	Nature of work
	From	To		

Section 4: Additional information (please attach separate sheets wherever necessary)

(A) Briefly describe your job responsibilities and your achievements at your work place.

(B) How would the proposed training programme add value to your present job responsibilities.

(C) Is there any other relevant information that you would like to provide about yourself?

Section 5:

(i) Have you been taken up under Disciplinary & Appeal Rules anytime in your career? If yes, furnish details of the punishment(s) imposed.
(ii) Has your name ever figured in any vigilance investigation/case? If yes, furnish details of the same.

Section 6: Previous record of training (please attach additional sheets, if necessary)

Have you attended any foreign training in the past?

Yes ☐ No ☐

If yes, please specify (attach additional sheet, if necessary):

____

Name of the institute: ____________________________

Country: ____________________________

Name of the Training Programme: ____________________________

Duration: From ______________ To ______________

(ii) Details of your official foreign visits i.e. study tour, conference, inspection etc. in the past, if any? Attach separate sheet, if necessary.

Yes [ ] No [ ]

If yes, please specify: (attach separate sheet, if necessary)

Name of the Institute: ____________________________

Country: ____________________________

Purpose of visit: ____________________________

Duration: From______________To______________

Declaration:

I certify that the information given in this application form is correct and true to the best of my knowledge. I agree to abide by the decision of the authorities regarding my selection to the programme.

Place : ______________ ______________

Date : ______________ (Signature)

(Annexure to Letter No. E(TRG)2010(1)/11 Dated 28.04.2014)

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड
*****

आर. सी. ई. सं. 38/20

सं. ई(ट्रेनिंग)2010(1)/11 नई दिल्ली, दिनांक: 28.04.2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
कोर/इलाहाबाद।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
डीज़ल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला।
कॉफमो, नई दिल्ली।

महानिदेशक
अ.अ.मा.सं./लखनऊ
एनएआईआर/वडोदरा

निदेशक,
इरीन/नासिक
इरिसेन/पुणे
इरिसेट/सिकन्दराबाद
इरिमी/जमालपुर
इरिटेम/लखनऊ
जेआर आरपीएफ अकादमी/लखनऊ

विषय: विदेश में प्रशिक्षण के लिए भारतीय रेल के कर्मियों के चयन के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में जारी किए गए समेकित आदेश।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 09.09.2010 का पत्र सं. ई(ट्रेनिंग)2010(1)/11
(ii) बोर्ड का दिनांक 25.10.2013 का पत्र सं. ई(ट्रेनिंग)2010(1)/11
(iii) बोर्ड का दिनांक 20.03.2014 का पत्र सं. ई(ट्रेनिंग)2010(1)/11

रेलवे बोर्ड द्वारा ऊपर उल्लिखित परिपत्रों के तहत भारतीय रेल के कार्मिकों के विदेश में प्रशिक्षण (निर्धारित प्रशिक्षण योजना से भिन्न) के लिए नामांकन/चयन के लिए पात्रता मानदंडों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। अब यह विनिश्चय किया गया है कि अब तक इस विषय पर किए गए सभी संशोधनों का समावेश करते हुए एक व्यापक परिपत्र जारी किया जाए। मानदड निम्नानुसार हैं:

1. **<u>अनिवार्य मानदड</u>**

क) **आयु प्रतिबंध:** प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि को राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों वर्गो के कार्मिकों की अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी (चाहे वे अजा/अजजा कोटि से संबंधित क्यो न हों)

ख) **न्यूनतम सेवा अवधि:** जहां-कहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम सेवा मानदंड निर्धारित न हो, वहां नामित व्यक्ति द्वारा भारतीय रेलवे में अनिवार्यतः न्यूनतम छ: (6) वर्षों की **नियमित** सेवा पूरी की गई हो।

ग) **एपीएआर ग्रेडिंग:** राजपत्रित अधिकारियों के मामले में, नामित व्यक्तियों की पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान एपीएआर की बेंचमार्किंग "बहुत अच्छा" होनी चाहिए।
अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले, नामांकन के लिए एपीएआर की ग्रेडिंग कोई मानदण्ड नहीं होगा।

घ) **शिक्षा/अनुभव:** विचाराधीन प्रशिक्षण के लिए नामित व्यक्ति के पास अपेक्षित निर्धारित शैक्षिक अर्हता अथवा कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।

ङ) **सतर्कता क्लीयरेंस :**
राजपत्रित अधिकारियों के मामले में डी एंड एआर/सतर्कता क्लीयरेंस अनिवार्य है। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए जब सतर्कता क्लीयरेंस अनिवार्य है परन्तु डी एंड एआर क्लीयरेंस अनिवार्य नहीं होगी।

2. ऊपर उल्लिखित अनिवार्य पूर्वापेक्षित को पूरा करने पर निम्नलिखित प्राथमिकता-क्रम के अनुसार नामांकन किया जाना चाहिए :

1) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहले कभी भी किसी प्रशिक्षण के लिए विदेश न भेजा गया हो।
2) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान कभी भी पहले किसी प्रशिक्षण के लिए विदेश न भेजा गया हो।
3) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान 2 सप्ताह तक का विदेश में दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
4) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिसने इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने की तिथि से पांच वर्षों से अधिक समय पूर्व से अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसकी समयावधि 2 सप्ताह से अधिक परन्तु छः (6) माह तक हो।
5) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने दीर्घावधि पाठ्यक्रम में भाग लिया हो (अर्थात् छः माह से अधिक की अवधि के लिए)।

3. उपशमन (कूलिंग ऑफ) अवधि:

उपशमन (कूलिंग ऑफ) अवधि निम्नानुसार होगी:
1) एक माह तक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दो वर्ष
2) एक माह से अधिक और छः माह तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तीन वर्ष
3) छः माह से अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के लिए पांच वर्ष

4. ऊपर उल्लिखित प्राथमिकता के मानदंडों में निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाएगा:

क) अधिकारी/ कर्मचारी (जहां कहीं लागू हो) के बारे में उसके बैच एवं उसकी वरिष्ठाता के अनुसार विचार किया जाएगा।

ख) अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा निर्धारित उपशमन (कूलिंग ऑफ) अवधि पूरी कर ली होनी चाहिए।

ग) अधिकारी/कर्मचारी पर उसे विदेश में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में कोई प्रतिबंध न लगाया गया होना चाहिए।

5. तकनीक के हस्तातंरण (टीओटी), मशीनों की खरीद अथवा विशेष विभागीय कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए अधिकारी/ कर्मचारी के बारे में विचार करते समय निम्नलिखित दिशा-निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए:

   i) नामांकन का स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए बोर्ड द्वारा नामित किए गए किसी व्यक्ति को छोड़कर केवल ऐसे अधिकारी/तकनीकी कर्मचारी/पर्यवेक्षक कर्मचारी को नामित किया जाना चाहिए जो वर्तमान में कार्यरत हो, और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कम से कम दो वर्ष तक संबंधित क्षेत्र एवं वर्ग स्ट्रीम में कार्य करे।
   ii) जन-दिवसों की संख्या को न्यूनतम रखा जाए।
   iii) तकनीकी विंग का प्रधान (जैसे कि सदस्य/अपर सदस्य), प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं समयावधि का निर्धारणकर्ता प्राधिकारी होगा। यदि प्रशिक्षण, रेलों/कॉफमो द्वारा आमंत्रित निविदा का एक भाग है तो करार में विदेशी प्रशिक्षण संबंधित खण्ड डालने के लिए संबंधित अपर सदस्य का अनुमोदन आवश्यक होगा।
   iv) ऐसे प्रशिक्षण के मामले में जिनमें 2 सप्ताह से अधिक विदेश में रहना आवश्यक हो तो नामित किए जाने वाले कर्मचारी/अधिकार के भाषा कौशल पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाए।
   v) विदेशी में लिए गए प्रशिक्षण से लौटने के पश्चात् अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम जिसने प्रशिक्षण लिया है, द्वारा उन्हें प्राप्त ज्ञान का उचित प्रसार करने के लिए एक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।

6. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्रों में फैकल्टी प्राध्यापक के रूप में तैनात हों और जो ऊपर उल्लिखित पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हों, को विदेश में दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के नामांकन में प्राथमिकता प्रदान की जाए।

7. ऐसे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया हो, को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए मामले को भेजे जाने से पूर्व संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार अपेक्षित सूचना उपलब्ध करानी चाहिए।

8. ऐसे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया हो, प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व एक बांड निर्धारित करना होगा। प्रत्येक मामले में, बांड की राशि सह वित्त, रेलवे बोर्ड के परामर्श में प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तय की जाएगी।

9. इस पत्र की पावती दें।

एच. महाराणा

(एच. महाराणा)
निदेशक (प्रशिक्षण)
रेलवे बोर्ड
फैक्स नं. : 011-23385099

अनुलग्नक

प्रशिक्षण का प्रोफार्मा

अभी हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं

सामान्य सूचना

1. नाम (बड़े अक्षरों में): ---
2. पिता का नाम: ---
3. पता: ---

   ----
4. फोन नं. : --- (कार्यालय)

   --- (निवास)

   --- (मोबाइल)
5. फैक्स नं. : ---
6. ई-मेल: ---
7. लिंग: पुरूष ☐ महिला ☐
8. जन्म तिथि (दिन/महीना/वर्ष):

   ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
9. श्रेणी:

   सामान्य ☐ एससी ☐ एसटी ☐ ओबीसी ☐
10. यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते है (मुस्लिम, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, सिख, बौध आदि) कृपया उसका उल्लेख करें।

    ☐

खंड 1: सेवा रिकार्ड

(i) सर्विस: --

(ii) बैच (यदि लागू हो) --

(iii) पदनाम: --

(iv) रेलवे: --

(v) रेलवे सर्विस में नियुक्ति की तारीख --

(vi) डीआइटीएस (यदि लागू हो) --

(vii) रेलवे में सर्विस की अवधि --

(viii) ग्रुप-'ए' में सर्विस की अवधि --

(ix) क्या केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति/रेलवे, पीएसयू में प्रतिनियुक्ति:------------------------

(x) यदि प्रतिनियुक्ति पर हैं, संगठन का नाम, नियुक्ति की तारीख और कार्यकाल पूर्ण होने की तारीख:--

(xi) वेतनमान में वर्तमान वेतन और ग्रेड पे --

खंड 2: शैक्षिक रिकार्ड

(केवल अंतिम वर्ष के बाद के कुल योग में अंक/सीजीपीए दें)

	मुख्य विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	मार्क/सीजीपीए के प्रतिशत
10+2				
स्नातक की डिग्री				
मास्टर डिग्री				
अन्य (ब्यौरा दें)				

अन्य योग्यताएं:

व्यावसायिक योग्यताएं/डिप्लोमा जो आपने किए हैं
(सीए/आईसीडब्ल्यूए/एनआईआईटी/एपटेक/विदेशी भाषाएं, विधि आदि)

योग्यता का नाम	दिनांक		प्राप्त मार्क/सीजीपीए	अधिकतम मार्क/सीजीपीए	श्रेणी विशिष्टता
	से	तक			

खंड 3: कार्य अनुभव

(क) पुर्ण कालिक (अतिरिक्त शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हों)

संगठन	पदनाम	अवधि		कार्य की प्रकृति
		से	तक	

(ख) अंश-कालिक, प्रशिक्षण, परियोजना कार्य, वालंटियर कार्य आदि (अतिरिक्त शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हों)

संगठन	अवधि		कुल माह	कार्य की प्रकृति
	से	तक		

खंड 4: अतिरिक्त सूचना (यदि आवश्यक हो कृपया अलग शीट लगाएँ)

(क) अपनी कार्य की जिम्मेदारियों और अपनी उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन दें।

(ख) आपके वर्तमान कार्य की जिम्मेदारियों में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या उपयोगिता होगी।

(ग) क्या कोई अन्य जरूरी सूचना है, जो आप स्वंय के बारे में देना चाहते है?

खंड 5:

(i) आपके कैरियर में क्या आपके विरूद्ध कभी अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है? यदि हाँ, तो लगाए गए दंडों का विवरण प्रस्तुत करें।

(ii) क्या किसी सतर्कता संबंधी जाँच/मामले में आपका नाम शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो उसका वर्णन दें।

खंड 6: प्रशिक्षण का पिछला रिकार्ड (यदि आवश्यक हो कृपया अलग शीट लगाएं)

क्या विगत में आपने किसी विदेशी प्रशिक्षण में भाग लिया है ?

हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ, कृपया विस्तृत विवरण दें (अतिरिक्त शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो):

संस्थान का नाम: ---

देश: ---

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम: ---

अवधि : से ---------------------- तक ----------------------------

(ii) विगत में आपके सरकारी विदेशी यात्राओं का विवरण जैसे अध्ययन दौरा, सम्मेलन, निरीक्षण आदि यदि कोई है? यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त शीट संलग्न करें, ।

हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ, कृपया विस्तृत विवरण दें: (यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

संस्थान का नाम: ---

देश: ---

यात्रा का उद्धेश्य: --

अवधि: से ---------------------- तक ----------------------------

घोषणा:

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी जानकारी के आधार पर सही और सत्य है। इस कार्यक्रम में मेरे चयन के संबंध में प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन करने के लिए मैं सहमत हूँ।

स्थान:------------------ ----------------------

दिनांक: --------------- (हस्ताक्षर)

(दिनांक 28.04.2014 का पत्र सं. ई(प्रशिक्षण)2010(1)/11 का अनुलग्नक)